रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221985
CG-DL-E-25092020-221985

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2944] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/ आश्विन 3, 1942
No. 2944] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ ASVINA 3, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3292(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2012 (अ) तारीख 23 जून, 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 23 जून, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पैट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 21.07.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरूद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : कृष्ण					**राज्य : आन्ध्र प्रदेश**
क्रम सं.	**गाँव का नाम**	**मंडल का नाम**	**सर्वे संख्या**	**क्षेत्रफल**	
				एकड	**सेन्ट्स**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1. अल्लूरू	विरुल्लपाडु	163/1बी	00	02
2			155/2	00	24
3			154	00	06
4			387/3	00	04
5	2. जुज्जूरू	विरुल्लपाडु	58/2बी	00	04
6			13/6	00	03
7			159	00	03
8			171/7	00	13
9			171/9	00	11
10			58/1	00	02
11	3. जम्मावरम	विरुल्लपाडु	103/4ए	00	01
12			101/5	00	04
13			65/6ए	00	09
14	4. गंडेपल्ली	कंचिकचेरल	289/4	00	04
15	5. कंचिकचेरल	कंचिकचेरल	9/3	00	04
16	6. पेन्डयाल	कंचिकचेरल	110/2ए	00	02
17			123/3	00	03
18			121/3	00	10
19			25/3	00	03
20			178/1	00	04
21	7. वेमुलपल्ली	कंचिकचेरल	21–2पी/ए	00	20
22			21–पी/ई	00	05

[फा. सं. आर–11025(15)/6/2017–ओआर–I/ई–18464]

पी. सोमाकूमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3292(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.2012(E) dated the 23rd June, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 23rd June, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 21.07.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Krishna				**State : Andhra Pradesh**	
Sl. No.	**Name of Village**	**Name of Mandal**	**Survey No.**	**Area**	
				Acres	**Cents**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1.Alluru	Virullapadu	163/1B	00	02
2			155/2	00	24
3			154	00	06
4			387/3	00	04
5	2.Jujjuru	Virullapadu	58/2B	00	04
6			13/6	00	03
7			159	00	03
8			171/7	00	13

9			171/9	00	11
10			58/1	00	02
11	3.Jammavaram	Virullapadu	103/4A	00	01
12			101/5	00	04
13			65/6A	00	09
14	4.Gandepalli	Kanchikacharla	289/4	00	04
15	5. Kanchikacharla	Kanchikacharla	9/3	00	04
16	6.Pendyala	Kanchikacharla	110/2A	00	02
17			123/3	00	03
18			121/3	00	10
19			25/3	00	03
20			178/1	00	04
21	7.Vemulapalli	Kanchikacharla	21-2P/A	00	20
22			21-P/E	00	05

[F. No. . R-11025(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3293(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पैट्रोलियम पदार्थ परिवाहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन कृष्ण जिला, आन्ध्र प्रदेश राज्य मे बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, विजयवाड – धर्मपुरी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, फ्लाट नं : 80, मकान नं : 59A-8/5-7A वासवि नगर, रास्ता नं-5, गुरुनानक रास्ता, फन टाइम्स कल्ब के पास, विजयवाडा -520008 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : कृष्ण				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	01. तोटरावुलपाडु	चंदरलपाडु	309/1	00	01
2			277/1	00	05
3			277/2	00	10
4			139/4	00	01
5			135/2	00	01
6			134/1	00	03
7			118/3	00	33
8			45/4	00	05
9			38/2	00	03
10			38/3ए	00	04
11			32/4बी	00	01
12			31/6ए	00	07
13			5	00	02
14			6/3	00	02
15	02.पार्टेपाडु	चंदरलपाडु	93/2डी	00	02
16			96/6	00	06
17	03.चंदरलपाडु	चंदरलपाडु	433/2बी	00	06
18			434/1सी	00	01
19			355	00	03
20	04.कोडवटिकल्लु	चंदरलपाडु	388/1	00	05
21			64/1	00	02
22			65	00	08
23			44/3	00	11
24	05.पोक्कनूरू	चंदरलपाडु	147	00	05
25			157/1ए	00	04
26			218/3	00	11

[फा. सं. आर–11025(15)/6/2017–ओआर–I/ई–18464]

पी. सोमाकूमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3293(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Krishna District in Andhra Pradesh State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority, Vijayawada-Dharmapuri Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, Plot No: 80, Door No: 59A-8/5-7A,Vasavi Nagar, 5th Road, Gurunanak Road, Near Fun times Club, Vijayawada-520008, Andhra Pradesh.

SCHEDULE

District : Krishna			**State : Andhra Pradesh**		
Sl. No.	**Name of Village**	**Name of Mandal**	**Survey No.**	**Area**	
				Acres	**Cents**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	01.Totaravulapadu	Chandarlapadu	309/1	00	01
2			277/1	00	05
3			277/2	00	10
4			139/4	00	01
5			135/2	00	01
6			134/1	00	03
7			118/3	00	33
8			45/4	00	05
9			38/2	00	03
10			38/3A	00	04
11			32/4B	00	01
12			31/6A	00	07
13			5	00	02
14			6/3	00	02
15	02.Patempadu	Chandarlapadu	93/2D	00	02
16			96/6	00	06
17	03. Chandarlapadu	Chandarlapadu	433/2B	00	06
18			434/1C	00	01
19			355	00	03
20	04.Kodavatikallu	Chandarlapadu	388/1	00	05
21			64/1	00	02
22			65	00	08
23			44/3	00	11

24	05.Pokkaunuru	Chandarlapadu	147	00	05
25			157/1A	00	04
26			218/3	00	11

[F. No. . R-11025(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.